वित्तीय स्वीकृति

संख्या-10/2016/250/52-3-16-बजट(9)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□/कार्यपालक अधिकारी,

□0प्र0 राज्य हज समिति

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 11 फरवरी, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रान्तीय हज समिति को मानक मद 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) मद में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्र □0-□□-11/623/□□0□□0□□0/2016 दिनांक 8.1.2016 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-926/52-3-15- □□□(9)/2015, दिनांक 27.4.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रान्तीय हज समिति के वेतन के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्यय में मानक मद संख्या- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 55,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 27,50,000/- की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है तथा □0 27,50,000/- की धनराशि अवशेष है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये प्रान्तीय हज समिति के वेतन के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 27,50,000/- (रू0 सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 31.03.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) □□□□□ □□ □□□□ (□□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति

http://shasanadesh.up.nic.in

अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक 2250-अन्य समाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति □□ □□□□□-20-□□□□□ □□□□□-□□मान्य (□□ □□□) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-11-146/□□-16, दिनांक 08 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-250(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in